

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न सं. *103
सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

‘प्रसाद’ योजना के अंतर्गत स्थलों का विकास

*103. श्री दिनेशभाई मकवाणा:

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना का ब्यौरा क्या है;
- (ख) प्रसाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत 54 स्थलों, विशेषकर झारखंड के दुमका और दरभंगा में स्थित श्याम माई मंदिर परिसर, जो मिथिला क्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल है, में अवसंरचना विकास के अतिरिक्त एकीकृत और सतत विकास के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) स्थानीय हितधारकों और मंदिरों/धार्मिक न्यासों के परामर्श से पुनर्विकास परियोजनाओं की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अखंडता को बनाए रखने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा 'प्रसाद' स्थलों पर पर्यटन सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और निरंतर केन्द्रीय वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यनीति अपनाई गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने पर्यटन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 'प्रसाद' स्थलों पर सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है;
- (च) केन्द्रीय वित्तपोषण के बिना पूरी हो चुकी परियोजनाओं का निर्वहन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है; और
- (छ) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ में नए तीर्थ स्थलों और झारखंड में जैन तीर्थ स्थल पाश्वनाथ धाम को उक्त योजना के अंतर्गत शामिल करने का है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री दिनेशभाई मकवाणा और श्रीमती रूपकुमारी चौधरी द्वारा 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत स्थलों के विकास के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के मौखिक प्रश्न संख्या *103 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में विवरण

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिह्नित तीर्थस्थलों और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान मिशन' (प्रशाद) शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों और विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों की सुविधा, पहुंच, सुरक्षा, स्वच्छता को सक्षम और अनुभव को बेहतर बनाने वाली सुनियोजित पर्यटन अवसंरचना की उपलब्धता के माध्यम से पर्यटकों के तीर्थयात्रा और आध्यात्मिक अनुभव को बेहतर बनाना है तथा एकीकृत, समावेशी और सतत विकास के माध्यम से तीर्थयात्रा/विरासत संबंधी शहर की आत्मा को पुनर्जीवित/संरक्षित करना है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रशाद योजना के अंतर्गत झारखण्ड के दुमका और बिहार के दरभंगा स्थित श्याम माई मंदिर परिसर में किसी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। हालाँकि, पर्यटन मंत्रालय ने उक्त योजना के अंतर्गत झारखण्ड और बिहार राज्यों में परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): योजना दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों (मंदिर प्राधिकरण/धार्मिक ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन और सोसायटी आदि, जैसा भी लागू हो) के परामर्श से चिह्नित परियोजनाओं के लिए व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करता है। उक्त परामर्श यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि स्थलों की आध्यात्मिक अखंडता और स्वरूप को संरक्षित और दुरुस्त रखा जाए, साथ ही समग्र तीर्थयात्री/पर्यटक संबंधी अनुभव में सुधार के लिए विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जाए।

(घ): पर्यटन मंत्रालय परियोजना स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, क्लॉक रूम, रोशनी, रास्ते, पेयजल संकेतक, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और पर्यटक सुविधा केंद्र आदि के प्रावधान के माध्यम से पर्यटन सेवा की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करता है। योजना के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति यह है कि परियोजना की 5वीं किस्त, अर्थात् परियोजना लागत का 5%, शौचालय, टीएफसी, कैफेटेरिया सुविधाओं के एक वर्ष तक सफल संचालन और रखरखाव के बाद जारी की जाती है, जिसे कि एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा, इस प्रकार निर्मित बुनियादी ढांचे को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संबंधित मंदिर/धार्मिक ट्रस्टों को सौंप दिया जाता है।

(ङ): पर्यटन मंत्रालय "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण" (सीबीएसपी) योजना के तहत देश भर में पर्यटन और आतिथ्य सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करता है,

जिसमें प्रशाद के अंतर्गत आने वाले गंतव्य भी शामिल हैं, ताकि गंतव्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके।

(च): संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के हिस्से के रूप में अपनी सतत संचालन एवं रखरखाव संबंधी योजनाएँ तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की स्थिरता संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

(छ): पर्यटन मंत्रालय ने प्रशाद योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 48.44 करोड़ रुपये की लागत वाली “छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर का विकास” नामक परियोजना को मंजूरी दी है और सूरजपुर जिले में कुदरगढ़ मंदिर के लिए स्थल की भी पहचान की है। हालाँकि, झारखण्ड स्थित जैन तीर्थस्थल पारसनाथ धाम को प्रशाद योजना के अंतर्गत शामिल करने का कोई प्रस्ताव अभी तक पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। हालाँकि, पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है तथा निर्धारित शर्तों की पूर्ति तथा धन की उपलब्धता के अध्यधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

श्री दिनेशभाई मकवाणा और श्रीमती रूपकुमारी चौधरी द्वारा 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत स्थलों के विकास के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के मौखिक प्रश्न संख्या *103 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

बिहार और झारखंड में प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)
1.	बिहार	पटना साहिब में विकास	29.62
2.		विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में बुनियादी सुविधाओं का विकास	3.63
3.		अंबिका भवानी मंदिर, सारण का विकास	13.29
4.	झारखंड	बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर का विकास	36.79
